

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक-एफ 4(57)परावि/पीसी/हैण्डपम्प स्थापना/2014/2078 जयपुर,दिनांक:- 26.10.15


मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
जिला परिषद-समस्त।

विषय:- ग्रामीण पेयजल योजना के अंतर्गत हैण्डपम्प/ट्यूबवेल (जल स्रोत) की स्थापना हेतु ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृति जारी करने के संबंध में।

संदर्भ:- विभागीय समसंख्यक पत्र क्रमांक 1390 दिनांक 18.09.2014।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि विभागीय समसंख्यक पत्र क्रमांक 1390 दिनांक 18.09.2014 के बिन्दु संख्या 5 के अनुसार पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास की योजनाओं के अंतर्गत हैण्डपम्प स्थापना के कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने हेतु विकास अधिकारी को अधिकृत किया गया था। उक्त संदर्भित पत्र में आंशिक संशोधन करते हुए हैण्डपम्प/ट्यूबवेल स्थापना के कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने हेतु ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2015 के भाग-1 के निर्देश संख्या-7 शिड्यूल ऑफ पार्वरा में अंकित वित्तीय सीमा तक ग्राम पंचायत को अधिकृत किया जाता है।


हैण्डपम्प/ट्यूबवेल निर्माण के संबंध में कार्य स्वीकृति, संपादन एवं मूल्यांकन आदि बाबत अंकित अन्य शर्तें ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2015 (भाग-1) के निर्देश संख्या-31.3 के अनुसार रहेगी।

  
(आनंद कुमार)

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि:- निम्न को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं परावि, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं परावि राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।

  
अधीक्षण अभियंता (प्रो.)